कारपोरेट सामाजिक दायित्व

सामुदायिक विकास नीति

एसजेवीएन लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालयः हिमफेड भवन, न्यू शिमला (हिमाचल प्रदेश)-
171009

विषय-सूची		
विवरण		**पृष्ठ संख्या**
1.	परिचय	
2.	एसजेवीएन की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति	
3.	एसजेवीएन का कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति दृष्टिकोण-सामुदायिक विकास	
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यान्वयन प्रक्रिया	
5.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम	
6.	बजट आबंटन	
7.	निगरानी एवं मूल्यांकन	
8.	दस्तावेजीकरण और प्रचार	

1. परिचय

भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य एक संयुक्त उपक्रम के तौर पर एसजेवीएन लिमिटेड की स्थापना जलविद्युत परियोजनाओं की आयोजना कर उनके सर्वेक्षण से लेकर निर्माण तक के कार्य पूरे करने एवं रखरखाव तथा उनका परिचालन करने के लिए दिनांक 24 मई,1988 को हुई। 1500 मेगावाट की विशालतम नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना की कमीशनिंग के उपरांत एसजेवीएन एकल परियोजना से अपना फलक बढ़ाकर बहु परियोजनायुक्त कर रहा है। इसका दृष्टिक्षेत्र भारत को भविष्य की जलविद्युत ऊर्जा के अपार संसाधनों के रूप में विश्वपटल पर प्रस्तुत करना है। निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को अपनाकर एसजेवीएन समुदायों के सामाजिक ढांचे व सततशील सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देने की कोशिश कर रहा है।

एसजेवीएन की निगम सामाजिक दायित्व नीति भारत सरकार के निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा 2009 तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा 2010 में जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है।

2. एसजेवीएन की सीएसआर पॉलिसी की कथन

एसजेवीएन अपने स्टेकहोल्डरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रयास करता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एसजेवीएन स्थानीय समुदाय, मुख्यतः समाज का सम्मान करेगा तथा अपने निगम सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जीवन गुणवत्ता में वृद्धि के प्रति सचेत रहेगा।

3. एसजेवीएन का निगम सामाजिक दायित्व के प्रति दृष्टिकोण - सामुदायिक विकास

जल विद्युत परियोजनाएं एसजेवीएन की नीति का आधार हैं। ये परियोजनाएं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है तथा आबादी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से

पिछड़ी होती है। एक उत्तरदायी कंपनी के नाते एसजेवीएन ऐसे क्षेत्रों के वासी लोगों के जीवन में समग्र रूप से सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त इसकी निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में वृहतर समाज के प्रासंगिक मुद्दे तथा स्थायी प्रभाव डाल सकने वाली गतिविधियाँ भी शामिल होंगी। एसजेवीएन में निगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम इसकी छाप छवि (ब्रांड इमेज) को मजबूत करने का जरिया होंगे तथा यह पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों से गौण नहीं होंगे।

4. कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यान्वयन प्रक्रियाः

4.1 एसजेवीएन फ़ौंडेशन एसजेवीएन का फ़ौंडेशन निम्न न्यासियों से युक्त एक न्यास (ट्रस्ट) होगाः-

क)	निदेशक (कार्मिक)	-	अध्यक्ष
ख)	निगम प्रमुख (वित्त एवं लेखा)	-	सदस्य
ग)	निगम प्रमुख (का.एवं प्रशा.)	-	सदस्य
घ)	प्रमुख (निगम आयोजना)	-	सदस्य
ड.)	परियोजना प्रमुख (एनजेएचपीएस)	-	सदस्य
च)	परियोजना प्रमुख (आरएचईपी)	-	सदस्य
छ)	निगम प्रमुख(आर.एण्ड आर./सीएसआर)	-	सदस्य-सचिव

दोनों परियोजनाओं के ट्रस्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक परियोजना से परिक्रमा (रोटेशनल) आधार पर ट्रस्ट बोर्ड का प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। समय-समय पर ट्रस्ट अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विशेष आमंत्रित को शामिल कर सकता है। फ़ौंडेशन के चार्टर में निम्नवत् समावेश होंगे-

क) एसजेवीएन का सामाजिक मुद्दों पर दृष्टि।

ख) शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल के सामान्य क्षेत्रों में तथा असहाय एवं वंचितों के कल्याण के लिए संस्थाओं को लंबी अवधि की गतिविधियों के लिए सहयोग देना। एसजेवीएन के नाम से होने वाली गतिविधियों के लिए अनुदान/वृत्तिदान के जरिए सहायता।

ग) परियोजना क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत उपायों में मदद हेतु बजट का कुछ भाग आबंटित करना।

घ) स्थानीय प्रशासन और समुदायों से विचार-विमर्श करके परियोजना क्षेत्रों में योजनाओं की पहचान करना।

ड.) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों का समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।

4.2 विशेषज्ञ अभिकरण तथा समुदाय आधारित संगठनों को शामिल करनाः

निगम प्रक्रियाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को जोड़ने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन हेतु एसजेवीएन की छाप छवि (ब्रान्ड इमेज) को स्थापित एवं मजबूत कर सकने वाली अभिकरणों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

इस प्रकार की संस्थाएं समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) चाहे औपचारिक या अनौपचारिक, स्वयंसेवी संस्थाएं (एनजीओ), संस्थाएं/शैक्षणिक संगठन, पेशेवर परामर्शी संगठन आदि हो सकती हैं।

5. निगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम

निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सततशील आजीविका, सामुदायिक विकास, बुनियादी विकास और सामाजिक मुद्दे उठाने पर केन्द्रित होगा।

5.1 **शिक्षाः** एसजेवीएन शिक्षण संस्थाओं को एसजेवीएन छात्रवृत्ति, जैसी वृत्तिकाओं या एसजेवीएन के नाम से चल रहे संस्थानों को पीठ, केन्द्र या पिण्ड (चेयर्स, सेन्टर्स या कार्प्स) अंशदानों के जरिए मदद देगा। अन्य गतिविधियों में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ भागीदारी, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि शामिल है।

5.2 **स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याणः** एसजेवीएन के नाम से चलने वाले कार्यक्रमों में एसजेवीएन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य संस्थाओं/केन्द्रों को अनुदान/वृत्तिदान द्वारा सहयोग देगा।

5.3 **बुनियादी विकास और सामुदायिक विकासः** एसजेवीएन परियोजना क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों/संस्थाओं के विकास में सहयोग करेगा। ट्रस्ट फंड का 10औ बजट इस कार्य के लिए आबंटित होगा।

5.4 **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायताः** प्राकृतिक आपदाओं के समय एसजेवीएन समुचित फोरमों/संगठनों/संस्थाओं को अंशदान देगा।

6. बजट आबंटनः

6.1 एसजेवीएन द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में कमाए शुद्ध लाभ की प्रतिशतता के रूप में निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का वित्तीय वर्ष हेतु बजट बनाया जाएगा।

6.2 वित्तीय वर्ष हेतु बजट का प्रावधान पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में प्राप्त करोपरांत शुद्ध लाभ के 0.5औ से 2औ तक होगा। अनुमोदित आबंटन को चालू वित्तीय वर्ष के ट्रस्ट फंड में डाला जाएगा।

7. निगरानी और मूल्यांकन

7.1 **निगरानी** ट्रस्ट, निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) को वर्ष में कम से कम दो बार निगम सामाजिक दायित्व गतिविधियों से सम्बंधित रिपोर्ट सौंपेंगा। एसजेवीएन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों संबंधी अलग से अध्याय तैयार करेगा। तथ्यों और आंकड़ों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के बारे में रिपोर्ट में प्रकाश डाला जाएगा। एसजेवीएन विद्युत मंत्रालय, अन्य सम्बंधित मंत्रालयों और राष्ट्रीय मूल्यांकन हेतु गठित कारपोरेट सामाजिक दायित्व हब को समय पर प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा।

7.2 **मूल्यांकनः** प्रत्येक पांच वर्षों में एक स्वतंत्र आंतरिक संस्था द्वारा निगम सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट से एसजेवीएन के निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों संबंधी प्रभावशीलता प्रकट होगी। इस प्रकार के अध्ययन से उपयुक्त सुधारात्मक उपाय तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।

8. दस्तावेजीकरण और प्रचार

निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दृष्टिकोण, नीतियों, कार्यक्रमों, व्ययों, प्रापण आदि संबंधी दस्तावेजीकरण किया जाएगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा तथा राष्ट्रीय निगम सामाजिक दायित्व केन्द्र (सीएसआर हब) को उपलब्ध कराया जाएगा।